



प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 27.08.2026

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 27.08.2026 को अभियोगों में सजा करायी गयी है।

1. थाना-बसरेहर

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 5,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना बसरेहर पैरोकार, व मानीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्याया0एडीजे-12/डकैती कोर्ट इटावा द्वारा अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 5,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण:-

थाना बसरेहर क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्तगण द्वारा अवैध हथियारों से लेस हो कर वादी से अंगूठी, 1800 रुपये व पत्नी के जेवर छीन लेने के सम्बन्ध में थाना बसरेहर पर मु0अ0सं0 24/2023 धारा 392/411 भादवि में पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी थानाध्यक्ष श्री अंकुश कुमार राघव द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया, साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण में सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना बसरेहर पुलिस टीम, पैरोकार का0 संदीप यादव व मानीटरिंग सैल टीम व एडीजीसी श्री गौरव दीक्षित द्वारा नियत तिथियों पर साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 27.08.2026 को अन्तर्गत धारा 392/411भादवि में मा0 न्याया0एडीजे-12/ डकैती कोर्ट इटावा द्वारा अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 5,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजायाफ्ता अपराधी-

1. मनीष कुमार पुत्र बाबू लाल जाटव निवासी हिन्दूपुरम कालोनी पुलिस लाइन के पास थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी।

2. थाना-बसरेहर

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 5,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना बसरेहर पैरोकार, व मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्याया0एडीजे-12/ डकैती कोर्ट इटावा द्वारा अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 5000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

संक्षिप्त विवरण:-

थाना बसरेहर क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्तगण द्वारा वादी को जान से मारने की नीयत से फायर करना व रात के अंधेरे में वादी के बचकर भाग जाने के सम्बन्ध में थाना बसरेहर पर मु0अ0सं0 31/2023 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट में पंजीकृत किया गया ।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 श्री इहू हसन के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया, साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण में सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना बसरेहर पुलिस टीम, पैरोकार का0 संदीप यादव व मानीटरिंग सेल टीम व एडीजीसी श्री गौरव दीक्षित द्वारा नियत तिथियों पर साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 27.08.2026 को अन्तर्गत धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट में मा0 न्याया0एडीजे-12/ डकैती कोर्ट इटावा द्वारा अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 5,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

सजायाफ्ता अपराधी-

1. मनीष कुमार पुत्र बाबू लाल जाटव निवासी हिन्दूपुरम कालोनी पुलिस लाइन के पास थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी ।